covid 19 st

प्रेषक,

जिला मजिस्ट्रेट
मेरठ।

प्रेष्य,

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
मेरठ।

संख्या– 1137/एसटी–नगर/कोवड–19, दिनांक– 24 मई, 2020

विषय– माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांकित 20.5.2020 के अनुपालन में मेरठ न्यायालय के परिसर रेड जोन/कन्टेनमैन्ट जोन के सम्बन्ध में आख्या उपलब्ध कराये जाने विषयक।

महोदय,

कृपया अपने पत्र दिनांकित 22.05.2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश संख्या–40–3–2020–डीएम–1 (ए) दिनांक 17.05.2020 के क्रम में मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के आदेश संख्या–924/2020/सीएक्स–3, दिनांक 18.05.2020 द्वारा कोविड–19 महामारी की रोकथाम के सम्बन्ध में देशव्यापी लॉकडाउन दिनांक 18.05.2020 से दिनांक 31.05.2020 तक प्रभावी रहने हेतु आदेश दिए गए हैं।

तत्क्रम में जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ के आदेश संख्या–1465/ओ0एस0डी0–कैम्प/2020, दिनांक 21.05.2020 (प्रति संलग्न) के साथ मेरठ जनपद के कन्टेनमैन्ट क्षेत्र की सूची संलग्न कर प्रेषित की गयी है, जिसके अन्तर्गत समस्त नगर निगम एंव कैन्टोनमेन्ट बोर्ड (नगर निगम वार्ड संख्या–06, 10, 28 एंव 31 को छोडकर) को कन्टेनमेन्ट क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया गया है।

कृपया तदनुसार आख्या सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

24.05.20

(अजय कुमार तिवारी)
अपर जिला मजिस्ट्रेट (नगर)
मेरठ।

प्रतिलिपि–
जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ महोदय को सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।

अपर जिला मजिस्ट्रेट (नगर)
मेरठ।